

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उओप्रओ शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

लखनऊ:दिनांक: 02 मई, 2016

विषय: सूचना प्रौद्योगिकी नीति उओप्रओ-2012 के अन्तर्गत कतिपय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता का निरस्तीकरण।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-449/78-1-2016-25/2012 दिनांक 06 अप्रैल, 2016 द्वारा "सूचना प्रौद्योगिकी नीति उओप्रओ-2012" को पुनरीक्षित करते हुए "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016" प्रख्यापित की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उओप्रओ-2012 को अवक्रमित करती है। नई "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016" के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी नीति उओप्रओ-2012 में सम्मिलित "संचित विद्युत उत्पादन हेतु प्लांट और मशीनें" एवं "वैट (वाणिज्यकर)" प्रोत्साहनों को "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016" में समाप्त कर दिया गया है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना प्रौद्योगिकी नीति उओप्रओ-2012 में सम्मिलित "संचित विद्युत उत्पादन हेतु प्लांट और मशीनें" एवं "वैट (वाणिज्यकर)" प्रोत्साहनों की अनुमन्यता से सम्बन्धित आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-837/78-1-2013-147आईटी/2013 दिनांक 09 सितम्बर, 2013 तथा आदेश संख्या-851/78-1-2013-25/2013 दिनांक 09 सितम्बर, 2013 को एतद्द्वारा अवक्रमित किया जाता है।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-552(1)/78-1-2016 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव(एन/भू), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र०, शासन।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को/अपट्रान इण्डिया लि०/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि०/श्रीट्रान इण्डिया लि०।
- 8- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उओप्रओ शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

लखनऊ:दिनांक: 02 मई, 2016

विषय: उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 के बिन्दु 3.1.6 तथा 3.1.7 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-449/78-1-2016-25/2012 दिनांक 06 अप्रैल, 2016 द्वारा "सूचना प्रौद्योगिकी नीति उओप्रओ-2012" को पुनरीक्षित करते हुए "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016" प्रख्यापित की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उओप्रओ-2012 को अवक्रमित करती है। नई "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016" के प्रस्तर संख्या-3.1.6 (सरकारी सूचनाओं का डिजिटाइजेशन) तथा 3.1.7 (साइबर सुरक्षा) में निम्नवत् व्यवस्था है:-

3.1.6 सरकारी सूचनाओं का डिजिटाइजेशन

"सरकारी गजट अधिसूचना, शासनादेश, अधिनियमों, नियमावली, परिपत्रों, नीति तथा कार्यक्रम अभिलेख जैसी समस्त पब्लिक डोमेन सूचनाओं का डिजिटलीकरण किया जायेगा और उन्हें चरणबद्ध ढंग से इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस के लिए वेब पर उपलब्ध कराया जायेगा।"

3.1.7 साइबर सुरक्षा

● गोपनीयता (Confidentiality), सत्यनिष्ठा (Integrity), आंकड़ों की सुरक्षा (Data Security) तथा समझौतों के अप्रकटीकरण (Non-Disclosure of Agreements) से जुड़े अपराधों पर कानून के अनुसार विचार किया जायेगा और उनकी संवीक्षा की जायेगी।

● ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार जागरूकता पैदा करेगी।

● उत्तर प्रदेश सरकार उद्योग एवं अन्य हितधारकों के साथ संयुक्त सहयोग स्थापित करके साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान संचालित करेगी।

● राज्य सरकार के समस्त विभागों/संगठनों द्वारा महत्वपूर्ण सूचना अवस्थापना (Critical Information Infrastructure) चिन्हित की जाएंगी। विभागों द्वारा चयनित की गई महत्वपूर्ण सूचना अवस्थापना की सुरक्षा के लिए राज्य स्तर एवं प्रत्येक विभाग और संगठन स्तर पर मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) नामित/चयनित किये जायेंगे। इस प्रयोजन हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

नीति-निर्माण (Policy designing) तथा निर्णय-निर्धारण (decision making) से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को नामित किया जायेगा।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त के क्रम में अपने अधीनस्थ विभागों, संस्थाओं, संगठनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों इत्यादि में प्रदेश शासन के उक्त संकल्प का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-1152/78-1-2012-122/2012 दिनांक 18 दिसम्बर 2012 को एतद्वारा अवक्रमित किया जाता है।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-551(1)/78-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- सशक्त समिति के समस्त सदस्यगण।
- 5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव(एन/भू), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र०, शासन।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्क/अपट्रान इण्डिया लि०/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि०/श्रीट्रान इण्डिया लि०।
- 9- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।